उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1071 /VII-1/2018/240 ख/01
देहरादूनःदिनांकः 25 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पचार के क्षेत्रान्तर्गत कुल 12.360 है० भूमि में सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु आवेदक श्री जीवन सिंह शाही पुत्र श्री बचे सिंह शाही, निवासी ग्राम खटगेडा, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर के आवेदन पत्र दिनांक 6.3.2016 एवं उनके दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के क्रम शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०–1261/VII-1/240 ख/01, दिनांक 16 अगस्त, 2016 द्वारा मां दुर्गा माइन्स एण्ड मिनरल्स, ग्राम खडगेडा, पो० असों, जिला बागेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पचार के क्षेत्रान्तर्गत कुल 12.360 है० भूमि में 25 वर्ष की अवधि हेतु सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया गया तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1502/VII-1/2017/240ख/01, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा उक्त स्वीकृत आशय पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2016 में उल्लिखित शर्तो की अनुपालना में हुए लगभग 08 माह के विलम्ब का मर्षण करते हुए आशय पत्र की अनुपालना हेतु 06 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–220/मु०ख०/53/बागे०/खनन/2016–17, दिनांक 26 अप्रैल, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मै० मां दुर्गा माइन्स एण्ड मिनरल्स, ग्राम खडगेडा, पो० असों, जिला बागेश्वर (भागीदार श्री जीवन सिंह शाही पुत्र श्री बचे सिंह शाही, निवासी ग्राम खटगेडा, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर एवं श्री ठाकुर सिंह गढिया पुत्र श्री मदन सिंह गढिया, निवासी ग्राम किरौली, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर) के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पचार के क्षेत्रान्तर्गत कुल 12.360 है० भूमि में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित, 2017 के प्रावधानानुसार सोपस्टोन का 25 (पच्चीस) वर्ष की अवधि का खनन पट्टा निम्नवत् स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :–

1	उपखनिज का नाम	सोपस्टोन
2	क्षेत्रफल	ग्राम पचार, तहसील दुगनाकुरी, जनपद बागेश्वर में जोतदार के नाम दर्ज भूमि 11.585 है०, सार्वजनिक उपयोग की भूमि 0.159 है० तथा राज्य सरकार की भूमि 0.616 है० कुल 12.360 है० भूमि एक संहत खण्ड में खसरा विवरण पत्र एवं खसरा मानचित्र के अनुसार उपलब्ध क्षेत्र का भूमि पर वास्तविक सीमाबन्धन खेतवार एवं खसरावार क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।
3	अवधि	खनन पट्टा के पंजीयन की तिथि से 25 वर्ष
4	अपरिहार्य भाटक	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के द्वितीय अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
5	स्वामित्व (रायल्टी)	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रथम अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
6	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार

अतिरिक्त शर्तेः

7.1. शासनादेश के दिनांक से छः माह के भीतर समुचित पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो शासनादेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही आवेदन शुल्क जब्त करते हुये प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

7.2 वन विषयक यदि स्वीकृत क्षेत्र का कोई भाग वन भूमि में पाया जाता हो या घोषित होता है, पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

7.3. आवेदक को खनन के दौरान विलेख की शर्तो/खनन नियमों/शासनादेशों/स्थानीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

7.4 खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सार्वजनिक उपयोग की भूमि कुल रकवा 0.159 है० में खनन कार्य निषिद्ध रहेगा।

7.5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर के पत्र संख्या–2466/9–2 दिनांक 04.02.2015 के अनुसार उल्लिखित विभिन्न जाति/प्रजाति के 53 वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा। उक्त वृक्षों की सुरक्षा वन विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना आवश्यकीय होगा।

7.6 आवेदक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पर्यावरण अनुमति संख्या–J-11015/216/2016-IA-II(M), दिनांक 19 अप्रैल, 2018 की समस्त शर्तों की अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7.7 आवेदक द्वारा अपरिहार्य भाटक की देयता पट्टा विलेख के दिनांक से देय होगी।

7.8 पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ संबंधित भू–स्वामियों की सहमति/अनापत्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।

7.9 स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव

संख्याः 1071 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. मै० मां दुर्गा माइन्स एण्ड मिनरल्स, ग्राम खडगेडा, पो० असों, जिला बागेश्वर को उक्तानुसार खनन पट्टा विलेख निष्पादन हेतु नियमानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के माध्यम से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
अपर सचिव